

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

बाबाराम पुत्र श्री कानाराम जाति मीणा
निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण

1.नेकाराम पुत्र प्रेमा, जाति गरासिया निवासी
कुआरला तह0 वाली जिला पाली
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 09/2023

—:निर्णय:—

दिनांक 26.11.2024

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 371 दिनांक 11.06.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2024/514 दिनांक 23.08.2024 से वादग्रस्त भूमि मौजा अन्दौर तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 101 रकबा 3.2941 हेक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

क्रमांक/कोर्ट/2024/S 98
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।



(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 26.11.2024

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

